

राजस्थान सरकार


निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/वी-136/2017/ दिनांक:-

आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा अवमानना याचिका संख्या 193/2017 अन्तर्गत एस. बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 8843/2016 श्रीमती वीणा टी.वी., महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.10.2016 एवं याचिकाकर्ता/कार्मिका श्रीमती वीणा टी.वी., जिनकी जन्मतिथि 24.10.1967 एवं राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 05.11.1992 को उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में आवेदनानुसार दिनांक 21.10.2016 से राजस्थान सिविल सेवा पेंशन 1996 के नियम 50(1) में उपलब्ध प्रावधानों के अन्तर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती है। दिनांक 21.10.2016 कार्मिका का अकार्य दिवस माना जावेगा।

इनके विरुद्ध:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।


(रामनिवास जाट)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/वी-136/2017/528

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनकी आई.डी. क्रमांक 452 दिनांक 07.04.2017 के क्रम में।
2. निदेशक, पेन्शन एवं पेन्शनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही।
5. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. श्रीमती वीणा टी.वी., महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
7. आदेश/रक्षित पत्रावली।


(रामनिवास जाट)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर